कोई उम्मीदवार जिसकी 2 से अधिक संतान हैं, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु ऐसा अभ्यर्थी निर्रहित नही होगा यदि उसकी एक सन्तान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक सन्तानों का जन्म होता है ।

1.7 **न्यूनतम शारीरिक अर्हता:-**

अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित शारीरिक अर्हतायें अवश्य होनी चाहिए:-

1.7.1 उँचाई: पुरूष - 167.5 सेंटीमीटर या उससे अधिक
महिला - 152.4 सेंटीमीटर या उससे अधिक

1.7.2 सीना: पुरूष - सीना बिना फुलाये 81 सेंटीमीटर/फुलाने पर 86 सेंटीमीटर (अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंमी का अन्तर होना आवश्यक हैं इस विषय पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी।)

1.7.3 अभ्यर्थी को शारीरिक रुप से अपंग नहीं होना चाहिये।

1.7.4 अभ्यर्थी में 'नॉक-नी' अथवा 'फ्लेट फुट' एवं कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिये। अभ्यर्थी को चिकित्सक दृष्टि से पूर्णतः योग्य (मेडिकली फिट) होना आवश्यक हैं।

नोट :- न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं में छूट का कोई प्रावधान नहीं है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि न्यूनतम शारीरिक अर्हताएं पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन करें। निर्धारित नापजोख पूर्ण नहीं करने पर उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी।

1.8 न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता:-

क्र.	पदनाम	पद का प्रकार	शैक्षणिक अर्हताऐं
1	सूबेदार	अतकनीकी पद	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य
2	उप निरीक्षक (जिला पुलिस बल)	अतकनीकी पद	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य।
3	उप निरीक्षक (विशेष शाखा)	अतकनीकी पद	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य।
4	उप निरीक्षक (आयुध)	तकनीकी पद	मान्यता प्राप्त तकनीकी विश्वविद्यालय से मेकैनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा।
5	उप निरीक्षक (क्यू. डी.)	तकनीकी पद	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के विषय के साथ स्नातक या उसके समतुल्य उपाधि।
6	उप निरीक्षक (रेडियो)	तकनीकी पद	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था/विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक/ इलेक्ट्रिकल, टेली कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में 03 वर्ष का डिप्लोमा।
7	उप निरीक्षक (अंगुली चिन्ह)	तकनीकी पद	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के विषय के साथ स्नातक या उसके समकक्ष या उसके समतुल्य उपाधि।
8	उप निरीक्षक(विसबल)	अतकनीकी पद	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य

नोट- (1) उप निरीक्षक अंगुली चिन्ह, एवं क्यू.डी. के तकनीकी पदों हेतु शैक्षण्कि अर्हता गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के साथ स्नातक या समतुल्य उपाधि निर्धारित है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि समतुल्य उपाधि में वह इंजीनियरिंग स्नातक डिग्री जिसमें गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र तीनों विषय शामिल रहे हों, को ही मान्य किया जावेगा।

(2) भूतपूर्व सैनिको की शैक्षणिक योग्यता हेतु भारत सरकार - कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा 12 फरवरी 1986 तथा म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक सी-3-3-86-3 एक दिनांक 24 फरवरी 1987 के द्वारा मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2(क) में किये गये संशोधन अनुसार मेट्रिक उत्तीर्ण ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिसने 15 वर्ष की सेवा उपरांत (जिस पद के अन्तर्गत वह भूतपूर्व सैनिक भी आता है, जिसने भारतीय सेना शिक्षा विशेष प्रमाण पत्र या नौ-सेना या वायु सेना के तत्स्थानी प्रमाण पत्र अभिप्राप्त कर लिया हो) मप्र पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1997 में स्नातक के समकक्ष मान्य किया गया है ।

1.8.1 **शैक्षणिक योग्यता में छूट:-**

शैक्षणिक अर्हता में कोई छूट नहीं दी जावेगी, किन्तु अपवादित मामले में समिति, नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगी जिसके पास यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो जो समिति की राय में अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन के लिये पात्र समझती हो। समिति अपने विवेकानुसार ऐसे अभ्यर्थियों को भी परीक्षा चयन में सम्मिलित कर सकेगी जो अन्यथा अर्ह हो, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय से उपाधियाँ प्राप्त की हों जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रुप से मान्यता प्राप्त न हो।

1.8.2 अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना अनिवार्य हैं।

1.8.3 निर्धारित समस्त **<u>अर्हताएं/प्रमाण पत्र</u>** आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक तक उम्मीदवार के पास अवश्य होनी चाहिये, अर्थात यदि कोई उम्मीदवार इस वर्ष स्नातक की परीक्षा में बैठा है और उसके पास स्नातक परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो वह परीक्षा में बैठने के लिये पात्र नहीं है।

1.8.4 इस चयन परीक्षा हेतु उम्मीदवारो द्वारा प्रोफेशनल एक्जामिनेश बोर्ड भोपाल को आवेदन पत्र एम.पी. ऑन-लाईन (M.P. Online) के माध्यम से भरे जाते है । किसी भी उम्मीदवार को एक आवेदन जमा करने की पात्रता है। यदि कोई उम्मीदवार एक आवेदन जमा करने के बाद केन्द्र के परिवर्तन आदि के लिये दूसरा आवेदन जमा करना चाहता है तो उसे अपना पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त करना होगा, उसके बाद ही नया आवेदन स्वीकार किया जावेगा ।

1.9 **परीक्षा की योजना :-**

प्रोफेशनल एक्जामिनेश बोर्ड भोपाल द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसके साथ वांछित दस्तावेज संलग्न किए जाने होंगे। ऑनलाईन आवेदन-पत्रों की स्क्रुटनी संबंधी आवश्यक निर्देश अध्याय-2 में दिए गए हैं, जिसके अनुसार लिखित परीक्षा हेतु अंतरिम प्रवेश पत्र मंडल की वेबसाईट **www.peb.nic.in** पर उपलब्ध होंगे।

सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग की चयन परीक्षा को निम्न लिखित तीन चरणो में संपन्न कराया जावेगा :-

1- प्रथम चरण - लिखित परीक्षा

2- द्वितीय चरण - शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा

3- तृतीय चरण - साक्षात्कार

इस चयन परीक्षा हेतु उम्मीदवारो द्वारा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को आवेदन पत्र एमपी ऑन लाईन (M.P. Online) के माध्यम से भरे जाते है। आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवारो के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण पीईबी अथवा अन्य किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है। अतः लिखित परीक्षा में उम्मीदवारो का प्रवेश तथा लिखित परीक्षा का परिणाम प्रावधिक (Provisional) होगा। लिखित परीक्षा में सफल होना किसी भी उम्मीदवार का अगले चरण हेतु कोई भी दावेदारी प्रदान नहीं करता है। लिखित परीक्षा के आधार पर शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के लिये बुलाये गये उम्मीदवारो का निम्नलिखित परीक्षण किया जावेगा:-

1 - उम्मीदवार के समस्त मूल प्रमाण पत्रो का परीक्षण।

2 - उम्मीदवार की ऊँचाई एवं सीने का माप।

3 - उम्मीदवार की नॉक-नी एवं फ्लेट फुट का परीक्षण।

उपरोक्त तीनो परीक्षणो में सफल होने पर उम्मीदवारों को शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा में भाग लेने की पात्रता प्राप्त होगी ।

यदि मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा आन लाइन आवेदन भरते समय कोई असत्य जानकारी प्रविष्ट की गई थी अथवा कोई तथ्यात्मक जानकारी छुपाई गई थी तो उसकी उम्मीदवारी उसी चरण पर समाप्त कर दी जावेगी तथा उसे किसी पद पर चयन की पात्रता नहीं रहेगी। यदि उम्मीदवार उपरोक्त किसी भी चरण में अयोग्य पाया जाता है अथवा असफल होता है तो अगले चरण में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी, भले ही वह लिखित परीक्षा में सफल रहा हो। यदि उम्मीदवार उपरोक्त तीनो परीक्षणो में योग्य पाया जाता है तथा शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा में सफल होता है, तभी उसे साक्षात्कार हेतु बुलाया जावेगा ।

1.9.1 प्रथम चरण - लिखित परीक्षा :-

मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड , भोपाल द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्रों में विषय, समय, अवधि एवं अधिकतम अंक हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में निम्नानुसार होंगे:-

क्रं.	**प्रश्न पत्र**	**पद प्रकार, जिसके लिये प्रश्न-पत्र लागू होगे**	**अवधि**	**अधिकतम अंक**
1	विज्ञान (गणित, भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र)	तकनीकी	02 घंटे	100
2	हिन्दी, अंग्रेजी में दक्षता एवं सामान्य ज्ञान	तकनीकी/अतकनीकी दोनो के लिये	03 घंटे	200

नोट :- (क) अभ्यर्थियों के लिये सूबेदार/उप निरीक्षक(जिला बल)/उप निरीक्षक विसबल एवं उप निरीक्षक (विशेष शाखा) के पद के लिये हिन्दी एवं अंग्रेजी में दक्षता तथा सामान्य ज्ञान की परीक्षा अनिवार्य है।

(ख) उप निरीक्षक (रेडियो) उप निरीक्षक (क्यू.डी./अंगुली चिन्ह) एवं उप निरीक्षक (आयुध) के पदों के लिये हिन्दी/अंग्रेजी में दक्षता, सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान तीनों परीक्षायें अनिवार्य हैं।

(ग) आवेदक को लिखित परीक्षा के लिये पीईबी द्वारा जारी प्रवेश-पत्र तथा काला बॉल प्वाइंट पेन अपने साथ लाना होगा।

(घ) परीक्षा में किसी प्रकार के केलकुलेटर, मोबाईल आदि के उपयोग की अनुमति नहीं दी जावेगी।

(ङ) लिखित परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों को पीईबी की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र के साथ साथ उनका फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसेः- आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेस, आयकर विभाग का पेनकार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, शासकीय संस्था द्वारा जारी किया हुआ फोटोयुक्त पहचान पत्र में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा। ई आधार मान्य नहीं है।

(च) नकल - लिखित परीक्षा में जो उम्मीदवार अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुये अथवा नकल सामग्री के साथ पकड़ा जावेगा उसे तीन वर्षों के लिये सूबेदार/उपनिरीक्षक सवंर्ग आदि प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जायेगा तथा अन्य उचित वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।

1.9.2 **लिखित परीक्षा की मेरिट सूची:-**

प्रथम चरण की परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट अनुसार, विज्ञापित रिक्त पदों के जाति वर्ग अनुसार 5 गुना संख्या में अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की परीक्षाओं - शारीरिक दक्षता परीक्षा व साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा। जाति वर्ग अनुसार 5 गुनी संख्या के अंतिम उम्मीदवार के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त

करने वाले सभी उम्मीदवारों को द्वितीय चरण की परीक्षा का अवसर दिया जावेगा, भले ही कुल संख्या 5 गुना से अधिक हो जावे।

गैर तकनीकी पदों (सूबेदार, उप निरीक्षक(जिला बल), उप निरीक्षक (विशेष शाखा) एवं उप निरीक्षक विसबल) तथा तकनीकी पदों (उप निरीक्षक - क्यू.डी. अं.चि., रेडियो, आयुध) के लिये पृथक पृथक सूची बनायी जायेगी। चूँकि योग्य उम्मीदवार दोनो ही प्रकार के पदों के लिये प्राथमिकता दे सकते हैं, अतः यदि कोई उम्मीदवार मेरिट के आधार पर गैर तकनीकी वर्ग की सूची में होते हुये भी तकनीकी वर्ग की सूची के लिये भी पात्र होता है तो तकनीकी वर्ग की सूची में ऐसे उम्मीदवार के नाम शामिल होंगे, किन्तु तकनीकी वर्ग की सूची हेतु 5 गुनी संख्या का आंकलन करते समय इनकी गणना नहीं की जावेगी।

लिखित परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों की सूची रोल नंबर क्रम में, पीईबी द्वारा द्वितीय चरण की परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु पुलिस विभाग की चयन समिति को उपलब्ध कराई जायेगी, जिसमें उम्मीदवारों के अंक नहीं दर्शाये जावेंगे ।

उम्मीदवारों को उनके लिखित परीक्षा के परिणाम की जानकारी पीईबी की वेबसाईट से मिल सकेगी। पीईबी की वेबसाईट पर उम्मीदवार की परिणाम पर्ची उपलब्ध होगी जिसे डाउनलोड किया जा सकेगा। परिणाम पर्ची में उम्मीदवारों के अंक नहीं दर्शाये जावेंगे। पीईबी की वेबसाईट से डाउनलोड होने वाली परिणाम पर्ची के साथ ही उम्मीदवारों को उनके द्वितीय चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा/साक्षात्कार के लिए केन्द्र एवं तिथि एवं उनसे सम्बधित जानकारियां ज्ञात हो सकेंगी। उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना पत्र नहीं भेजा जावेगा ।

इस चयन परीक्षा हेतु उम्मीदवारो द्वारा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को आवेदन पत्र एम.पी. ऑन-लाईन (M.P. Online) के माध्यम से भरे जाते है। आवेदन- पत्र भरते समय उम्मीदवारो के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण पीईबी अथवा अन्य किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है,। साथ ही लिखित परीक्षा के पूर्व उम्मीदवारों का उंचाई तथा सीने की नाप जोख नहीं कराई जाती है ऐसी स्थिति में उंचाई तथा सीने की नाप हेतु निर्धारित अर्हताएं पूर्ण नहीं करने वाले उम्मीदवारों के सम्मिलित होने की संभावना रहेगी। अतः लिखित परीक्षा में उम्मीदवारो का प्रवेश तथा लिखित परीक्षा का परिणाम प्रावधिक (Provisional) है। लिखित परीक्षा में सफल होना किसी भी उम्मीदवार का अगले चरण हेतु कोई भी दावेदारी प्रदान नहीं करता है ।

यदि मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा आन लाइन आवेदन भरते समय कोई असत्य जानकारी प्रविष्ट की गई थी अथवा कोई तथ्यात्मक जानकारी छुपाई गई थी तो उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जावेगी तथा उसे किसी पद पर चयन की पात्रता नहीं रहेगी ।

1.9.3 **द्वितीय चरण - शारीरिक माप परीक्षण, शारीरिक प्रावीण्यता टेस्ट व साक्षात्कार:-**

उम्मीदवारों को उनके लिखित परीक्षा के परिणाम की जानकारी पीईबी की वेबसाईट से मिल सकेगी। पीईबी की वेबसाईट पर उम्मीदवार की परिणाम पर्ची उपलब्ध होगी जिसे डाउनलोड किया जा सकेगा। परिणाम पर्ची में उम्मीदवारों के अंक नहीं दर्शाये जावेंगे। पीईबी की वेबसाईट से डाउनलोड होने वाली परिणाम पर्ची के साथ ही उम्मीदवारों को उनके द्वितीय चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा/साक्षात्कार के लिए केन्द्र एवं तिथि एवं उनसे सम्बधित जानकारियां ज्ञात हो सकेंगी। उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना पत्र नहीं भेजा जावेगा।

द्वितीय चरण के अंतर्गत शारीरिक माप परीक्षण, शारीरिक प्रावीण्यता टेस्ट व साक्षात्कार की कार्यवाही राज्य शासन से गठित चयन समिति द्वारा पुलिस मुख्यालय स्तर पर आयोजित करायी जावेगी।

1.9.4 **प्रमाण प़त्र एवं दस्तावेज (डाक्यूमेन्ट) मूलतः प्रस्तुत करना:-**

आवेदक अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ वांछित दस्तावेज संलग्न करेंगे, द्वितीय चरण में पुलिस विभाग द्वारा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों के सत्यापन के समय निम्नलिखित प्रमाण प़त्र एवं दस्तावेज (डाक्यूमेन्ट) मूलतः प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा:-

(1) जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल या इण्टरमीडियेट (10+2) की अंक सूची जिसमें जन्म तिथि लिखी हों।

(2) शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र (डिग्री या सर्टिफिकेट)।

.

(3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलयर) के सभी उम्मीदवार शासन द्वारा निर्धारित प्रारुप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय इत्यादि इसमें सुस्पष्ट होना चाहिये। प्रमाण-पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र इस विज्ञापन के साथ भी प्रकाशित किये जा रहे हैं।

(4) भूतपूर्व सैनिकों के मामले में ‘सेना’ की सेवा का प्रमाण पत्र।

(5) पुलिस कर्मियों के प्रकरणों में इकाई प्रमुख द्वारा जारी 6 वर्ष की सेवाकाल पूर्ण करने एवं सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान कोई बड़ी सजा न होने संबंधी प्रमाण पत्र।

(6) पूर्व से नियोजित उम्मीदवार के लिये नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र।

(7) परित्यक्ता महिला के लिये लागू उच्चतम आयु सीमा की छूट प्राप्त करने हेतु महिला उम्मीदवारों को परित्यक्ता होने के प्रमाण के रुप में राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से नीचे के स्तर का नहीं होगा, एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि

विवाह के बाद महिला उम्मीदवार को उसके पति ने विधिवत तलाक दिये बिना छोड़ दिया है तथा उक्त पति से महिला उम्मीदवार को कोई गुजारा भत्ता नहीं प्राप्त होता है।

(8) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्र्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतगर्त पुरूस्कृत किसी दम्पत्ति में से उच्च जाति के पति / पत्नी उम्मीदवार को आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये पुरूस्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

(9) ''विक्रम पुरस्कार'' प्राप्त उम्मीदवार को उच्चतर आयु सीमा में छूट ''विक्रम पुरस्कार'' हेतु पुरस्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

(10) विवाहित उम्मीदवार को उनके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र।

(11) **<u>आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों हेतु मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र।</u>**

नोट :- (1) सत्यापन के समय समस्त प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों को मूलतः प्रस्तुत करना अनिवार्य है। समस्त प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों की एक प्रमाणित प्रतिलिपि चयन समिति के समक्ष जमा करना होगा अतः द्वितीय चरण की परीक्षा में उम्मीदवार प्रमाणित प्रतिलिपियों का एक सैट अपने साथ ले कर उपस्थित होंगे। अध्याय-3 में वर्णित विभिन्न प्रारूपों के अतिरिक्त भी यदि कोई संबंधित प्रारूप शेष रह जाता है तो वह शासन के द्वारा जारी किए गए प्रारूप के अनुसार होगा।

(2) यदि मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा ऑन लाइन आवेदन भरते समय कोई असत्य जानकारी प्रविष्ट की गई थी अथवा कोई तथ्यात्मक जानकारी छुपाई गई थी तो उसकी उम्मीदवारी उसी चरण पर समाप्त कर दी जावेगी तथा उसे अगले चरण में भाग लेने तथा किसी पद पर चयन की पात्रता नहीं रहेगी।

1.9.5 **शारीरिक माप परीक्षण:-**

शारीरिक माप मध्यप्रदेश शासन द्वारा गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा। इस संबंध में किसी भी विवाद की दशा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का विनिश्चय मान्य होगा। निर्धारित शारीरिक अर्हता पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थी की उम्मीदवारी स्वतः निरस्त हो जायेगी।

1.9.6 **शारीरिक प्रावीण्यता टेस्ट:**

पुलिस विभाग द्वारा लिये जाने वाले शारीरिक प्रावीण्यता परीक्षण तीन विधाओं अर्थात 800 मीटर दौड़, लंबी कूद तथा गोला फेंक में सम्पन्न किया जावेगा।

उक्त तीनों विधाऐं क्वालीफाईंग स्वरुप की होगी, अर्थात इसके कोई अंक नहीं प्रदान किये जाएंगे। 800 मीटर दौड़ में क्वालीफाई करने हेतु निम्नानुसार समय सीमा निर्धारित हैं:-

(1) 800 मीटर दौड़

क्रं.	**उम्मीदवार**	**800 मीटर दौड़ क्वालीफाई करने हेतु निर्धारित अधिकतम समय**
1	पुरूष	02 मिनिट 40 सैकेण्ड (एक अवसर)
2	महिला	03 मिनिट 30 सैकेण्ड (एक अवसर)
3	भूतपूर्व सैनिक	03 मिनिट 15 सैकेण्ड (एक अवसर)

(2) लम्बी कूद

क्रं.	**उम्मीदवार**	**लंबी कूद क्वालीफाई करने हेतु निर्धारित न्यूनतम दूरी**
1	पुरूष	13 फीट (तीन अवसर)
2	महिला	10 फीट (तीन अवसर)
3	भूतपूर्व सैनिक	10 फीट (तीन अवसर)

(3) गोला फेंक

क्रं.	**उम्मीदवार**	**गोंला फेंक क्वालीफाई करने हेतु निर्धारित न्यूनतम दूरी**
1	पुरूष	19 फीट (गोले का वजन 7.260 कि.ग्रा.) (तीन अवसर)
2	महिला	15 फीट (गोले का वजन 4 कि0ग्रा0) (तीन अवसर)
3	भूतपूर्व सैनिक	15 फीट (गोले का वजन 7.260 कि0ग्रा0) (तीन अवसर)

यह उल्लेखनीय है कि उम्मीदवारों को उक्त तीनों विधाओं में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा की किसी भी एक विधा में असफल रहने वाले अभ्यर्थियों को इसी स्तर पर अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जायेगा और उनका साक्षात्कार नहीं लिया जावेगा।

नोटः- शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को स्वास्थ्य अथवा किसी भी अन्य आधार पर परीक्षा से छूट नहीं दी जा सकेगी। अभ्यर्थियों को उनकी शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा के लिये चयन समिति द्वारा जो तिथि सूचित की गई है, उस तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। उक्त शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा में तिथि परिवर्तन के लिये अभ्यर्थी का चिकित्सीय प्रमाण पत्र अथवा किसी प्रकार का अन्य कोई प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।

1.9.7 **साक्षात्कार :-**

शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल रहने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार, राज्य शासन द्वारा गठित चयन समिति द्वारा लिया जायेगा, जिसका आयोजन पुलिस विभाग करेगा। साक्षात्कार हेतु अधिकतम 10 अंक होंगे।

1.9.8 **बोनस अंक :-**

किसी भी विधा में विशेष योग्यता के लिये कोई बोनस अंक प्रदान नहीं किये जावेंगे ।

1.10 **यात्रा किराया :-**

आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा/साक्षात्कार के लिये मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

1.11 **चयन सूची :-**

नोट:- द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा/साक्षात्कार की कार्यवाही राज्य शासन से गठित चयन समिति द्वारा पुलिस मुख्यालय स्तर पर आयोजित कराई जावेगी, जिसमें सफल उम्मीदवारों के प्राप्तांकों सहित सूची पी.ई.बी. को उपलब्ध कराई जायेगी। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही के पश्चात भर्ती के लिये अन्तिम गुणागुण सूची (मेरिट लिस्ट) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, शारीरिक प्रावीण्यता परीक्षा में सफल होने तथा साक्षात्कार में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर तैयार कर मंडल द्वारा पुलिस विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी, जिसके आधार पर चयन समिति उम्मीदवारों की अंतिम चयन सूची प्रकाशित करेगी। अभ्यर्थी द्वारा विभिन्न पदों के लिये दिये गये अधिमान्य (प्रिफरेन्स) तथा मेरिट सूची में ज्येष्ठता (सीनियरटी) के आधार पर पद आवंटित किया जावेगा। कोई अधिमान्यता न दिये जाने या पूरे पदों के लिये अधिमान्यता न देने की स्थिति में चयन समिति कंडिका- 1.3 में दिये गये पदों के क्रम में चयन का प्रस्ताव देने अथवा कोई पद आवंटित न करने की सिफारिश करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। यदि किसी उम्मीदवार के पास कोई ऐसी योग्यता हैं जो चयन समिति की राय में किसी पद विशेष के लिये अत्यंत उपयोगी हैं तो चयन समिति पुलिस महानिदेशक के अनुमोदन पश्चात् ऐसे उम्मीदवार की ऐसे पद पर चयन की सिफारिश करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

1.12 **पारस्परिक वरीयता:-**

समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवरिष्ठता लिखित परीक्षा में अंकों के आधार पर निर्धारित की जावेगी। लिखित परीक्षा में भी अंक समान होने पर आयु के आधार पर आपसी सहवरिष्ठता निर्धारित की जावेगी। यह आवश्यक नहीं है कि अन्तिम **CUT-OFF** मार्क पर समान अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को चयन सूची में लाया जावे।

1.13 **प्रतीक्षा सूची:-**

किसी भी संवर्ग या पद के लिये कोई प्रतीक्षा सूची नहीं बनाई जावेगी ।